FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

.... बनाम ....

सुरेश कुमार बनाम् भूमिधारी तहसीलदार

दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड .... सन् ....

मुकदमा नं0 353/2011

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार वर्ष–2018
[illegible] संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर. [illegible]
पत्रांक प.12 (15) राज–1/2018 दिनांक [illegible] की पालना एवं
[illegible] जिला कलक्टर [illegible] प्राप्त दिशा निर्देशों की
पालना में पत्रावली पूर्व [illegible] 23-7-18 से तलब होकर
आज पेश हुई। उक्त [illegible] शिविर में पत्रावली लोक अदालत
में सुनवाई हेतु रखी जानी है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल
अटल सेवा केन्द्र सिमारला जागीर दिनांक 16-5-18
को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने
हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो।

16.05.2018 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– सिमारला जागीर के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में वादी की माता ने उपस्थित होकर प्रकरण में अपने पुत्र का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पक्षकार के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 398, 399, 466, 467, 475, 480 से 484, 510, 512, 513, 516 कुल किता 14 कुल रकबा 13.72 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम जलालपुर में स्थित होकर वादी चौथू पुत्र मंगला का हिस्सा 1/8 दर्ज है। वादी को घर पर चौथू के नाम से पुकारा जाता था। जिसके कारण खातेदारी में चौथू पुत्र मंगला दर्ज कर दिया गया। वादी के पिता का देहान्त बाल्यकाल में ही हो गया था। वादी का वास्तविक नाम स्कूल रिकार्ड, मतदाता सूचि, मतदाता पहिचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि में सुरेश कुमार वर्मा दर्ज है। वादी का वास्तविक रिकार्डेड नाम सुरेश कुमार वर्मा है तथा घर पर बोलचाल की भाषा में चौथू नाम पुकारने से राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम सुरेश कुमार वर्मा के बजाय

Scanned by CamScanner

सुरेश कुमार बनाम भूमिधारी तह. अधिकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु.नं. – 353/2011
	सुरेश कुमार बनाम भूमिधारी तहसीलदार दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नं0 353/2011 चौथू दर्ज कर दिया गया जिसे राजस्व रिकार्ड में चौथू की बजाय सुरेश कुमार वर्मा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2044–2047, 2060–2063, 2064–2067, दस्तावेजात् परिवार राशन कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, ग्राम पंचायत सिमारला जागीर द्वारा जारी परिचय पहचान पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम चौथू पिता मंगलाराम नहीं होकर वास्तविक नाम सुरेश कुमार वर्मा पिता मंगलाराम ही है। जो सही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 398, 399, 466, 467, 475, 480 से 484, 510, 512, 513, 516 कुल किता 14 कुल रकबा 13.72 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम जलालपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज **चौथू पिता मंगला** के स्थान पर **सुरेश कुमार वर्मा पिता मंगला** दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

सुरेश कुमार बनाम भूमिधारी तह० श्रीमाधोपुर

म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० नं० – 353/2011	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

सुरेश कुमार बनाम् भूमिधारी तहसीलदार
दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं0 353/2011

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र– सिमारला जागीर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–सिमारला जागीर

Scanned by CamScanner